न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2492–दो/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–12–2000 पारित द्वारा अपर कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 252–अपील/97–98 .

श्यामलाल तनय श्री जगन्नाथ ब्रा.
सा. ककलपुर तह0 अमरपाटन
जिला सतना म.प्र.

—— आवेदक

विरूद्ध

1– शोभितप्रसाद तनय श्री रामसेवक ब्रा. चतुर्वेदी
निवासी ग्राम पपरा तह. अमरपाटन जिला सतना म.प्र.

2– जगन्नाथ प्रसाद पुत्र रघुनाथप्रसाद ब्रा.
नि. ककलपुर अमरपाटन सतना

—— अनावेदकगण

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री एस.के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता अनावेदक क. 2.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 26-06-2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 252/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 4–12–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है .

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक–1 ने विचारण न्यालय में संहिता की धारा 109/110 के तहत प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 5–5–94 द्वारा आवेदन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक श्यामलाल ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 28–11–97 द्वारा निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने

अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में पेश की है ।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण संहिता की धारा 109/110 के तहत अनावेदक क. 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया गया, जिसको अनुविभागीय अधिकारी ने स्थिर रखा है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि विचारण न्यायालय का आदेश सकारण है जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय ने की है । यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय साक्ष्य की विवेचना पर आधारित हों तथा आख्यापक हों तो द्वितीय अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में उन्होंने अनेक न्यायदृष्टांत का उल्लेख अपने आदेश में किया है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होकर अभिलेख पर आधारित है और प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर